एकमुश्त समझौता योजना

चर्चा में क्यों?

राजस्थान सरकार ने **किसानों एवं लघु उद्यमियों** के लिये **एकमुश्त समझौता योजना (OTS)** लागू करने की घोषणा की है।

मुख्य बिंदु

- **योजना के बारे में:**
  - इसका प्रमुख उद्देश्य **किसानों और लघु उद्यमियों** को **वित्तीय संकट से बचाना** और **भूमि विकास बैंकों की स्थिरता सुनिश्चित करना** है।
  - इस योजना के तहत, यदि ऋणी 1 जुलाई, 2024 तक अवधिपार हो चुके मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण के मूलधन की 100 प्रतिशत राशि जमा करते हैं, तो उन्हें **ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी।**
  - इसके अलावा, 5 प्रतिशत अनुदान की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे पात्र ऋणी सदस्य पुनः ऋण प्राप्त करने में सक्षम होंगे।
  - इस योजना से **भूमि विकास बैंकों** से जुड़े **36,351** अवधिपार ऋणी सदस्यों को लाभ मिलेगा।
  - विभिन्न आपदाओं के कारण किसान ऋण की किस्तें समय पर नहीं चुका सके, जिससे सहकारी भूमि विकास बैंकों का अवधिपार ऋण 760 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
  - इस स्थिति को सुधारने के लिये सरकार **200 करोड़ रुपए** खर्च करेगी, जिससे न केवल ऋणों की वसूली आसान होगी, बल्कि बैंकों की आर्थिक स्थिति में सुधार भी होगा।
- **योजना का महत्त्व**
  - यह योजना किसानों को **नया ऋण प्राप्त करने और उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने** में सहायता करेगी।
  - इस योजना से **छोटे व्यापारियों को वित्तीय राहत** मिलेगी, जिससे वे अपने **व्यवसाय को पुनः स्थापित और सशक्त कर सकेंगे**।
  - इस योजना से भूमि विकास बैंकों की **ऋण वसूली दर में सुधार** होगा।

भूमि विकास बैंक के बारे में:

- **परिचय**
  - **भूमि विकास बैंक (Land Development Bank - LDB)** विशेष रूप से **कृषि और ग्रामीण विकास** के लिये स्थापित **सहकारी बैंक** हैं।
  - ये बैंक **दीर्घकालिक ऋण** प्रदान करते हैं, जो मुख्य रूप से किसानों को **भूमि सुधार, सिंचाई, बागवानी, कृषि उपकरण खरीदने, पशुपालन और अन्य कृषि संबंधी गतिविधियों** के लिये दिये जाते हैं।
- **इतिहास**
  - भारत में पहला **भूमि विकास बैंक वर्ष 1920 में पंजाब के झंग में** स्थापित किया गया था।
  - इसके बाद वर्ष **1929 में चेन्नई में एक और बैंक की स्थापना** हुई, जिसके साथ भूमि विकास बैंकों का विस्तार शुरू हुआ।
- **वित्त के स्रोत**
  - केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा अनुदान और सहायता।
  - कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये वित्तपोषण।
  - दीर्घकालिक वित्त जुटाने हेतु बॉन्ड्स का निर्गम।
  - विभिन्न सहकारी एवं वाणिज्यिक बैंकों से ऋण।
- **ऋण वितरण और पुनर्भुगतान**
  - भूमि विकास बैंक **20 से 30 वर्षों** की अवधि के लिये दीर्घकालिक ऋण प्रदान करते हैं।
  - ऋण की राशि आमतौर पर **भूमि के मूल्य के 50% या वार्षिक राजस्व के 30 गुना तक** होती है।
  - ऋण प्रदान करने से पहले **भूमि के स्वामित्व, आय और ऋण आवश्यकता का पूर्ण सत्यापन** किया जाता है।
  - **ब्याज दरें आमतौर पर 11-12%** होती हैं, ताकि किसान इसे आसानी से चुका सकें।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/one-time-settlement-scheme-4